20/5/012

पंचायती न्यायालय लोक अदालत कोलसिया द्वारा पेश हुई पंचसंसार मुद्दा। पंचायती का अवलोकन किया गया। कई अवसरों के बाद भी वादिनी पंचसंसार पेश नहीं की गयी है अतः प्रकरण का साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाता है।

वादी वाद ग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण से मुकदमा, मध्यस्थता नहीं करने हेतु जीवन स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराना चाहता है। प्रतिवादीगण का क्रय भूमि पर कब्जा भी प्रमाणित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद ग्रस्त भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा 6 बीघा 12 बिस्वा कास्तकारी अतीपुरा वादी के खातेदारी भूमि है जिसमें इसका हैसियत से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा-मध्यस्थता के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी भूमि रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम-अतीपुरा पट्टा स्थान के मिसीपुरा के मध्यस्थता, मुकदमा नहीं करें और यह ही करार। पत्रावली निस्तारी पाती है।

पत्रावली फैसलशुदा होकर वाद तामील अभिलेख दफ्तर हो।

(डॉ. सरफ सिंह नेगी)
PCS
सहायक कलेक्टर
मुख्यालय दौसा

Scanned by CamScanner